

प्रार्थना पत्र को रीर
 राज सरकार दर्ज करीर
 सीमा जाए। उसके विपरीत विरत (या) विरत
 द्वारा उपलब्ध होकर कथन किया कि
 26-12-2022 को मू.मि. रूपान्तरण हेतु
 नगर न्यायाधीश आबू में आवेदन किया गया
 था उसी आनेवाले आवेदन की प्रतिलिपी,
 चालान की प्रतिलिपी आधीपूचना प्रकाशन
 एवं अखबार में आधीपूचना द्वारा की
 प्रति जवाब के साथ पेश की गयी है
 जिसमें साबित होता है कि इस जर्घे
 द्वारा सार्वजनिक रूप से मू.मि. रूपान्तरण
 हेतु कार्यवाही की गयी है जो प्राधिकारी
 है। जिसके नियमानुसार देय शुल्क जमा
 किया जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है
 कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मध्यम
 मुझ प्रार्थी हेतु श्रु-परिवर्तन हेतु प्रयास
 कर गये हैं, आवेदन प्राधिकारी को भी
 लिखित में प्रार्थना पत्र खारिज किया
 जाकर न्याय प्रदान करावे। दोनों पक्षों
 की मौखिक बहस सुनी जाकर
 पत्रावली आईना वास्तु निश्चय
 दिनांक 18/06/2024 को पेश हो।

18/06/24

पत्रावली पेश
 जर्घे का प्रस्तावना की शिर्षक श्री आबूरोड (सिरोही)
 किला प्रताप निश्चय हेतु
 जाकर शा.प. किला प्रताप प्रकाशन प्रकाशन
 शुद्ध होकर नोट से कसली

सहायक कलेक्टर
 आबूरोड (सिरोही)
 18/06/2024

